8/182321

कार्यालय,

डॉ0 के0 प्राविधिक शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या- प्रा0शि0परिषद सम्बद्धता/2021/1537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

(सम्बद्धता पत्र)

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/भारतीय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रमों को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 01.08.2021 को परिषद मुख्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार, पाठ्यक्रमवार प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 सम्बद्धता द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1063-SHRI RAM COLLEGE OF PHARMACY PARIKRAMA MARG MUZAFFARNAGAR-251001

क्रम सं0	पाठ्यक्रम का नाम	शासनादेश/परिषदीय नीतियों/आदेश अनुसार सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	आवेदित दुकान सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एआईसीटीई/पीसीआई द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ सम्बद्ध उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, रीजिस्टर विनियमावली-2016 तथा अन्य विहित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा पूरक विनियमन अधिनियम द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु रू0 30,000.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रू0- 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष की अवधि पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू0-22,500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से वसूल किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले आदेशों का पालन करना होगा, और यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा। फीस विनियामक समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस भी तदनुसार ही लागू होगी।
- ✓ संस्था को (छात्रा प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार नियमित एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एआईसीटीई/पीसीआई से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ, प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा समय-समय पर निर्गत नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगी।

अशोक,
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्रशिक्षण/परिषद सम्बद्धता/2020/[illegible] लखनऊ: दिनांक: 18-8-2020

:-कार्यालय ज्ञाप-:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/भारतीय कानूनिक लोक इंजिनियर, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु विभिन्न [illegible] शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक आयोजित हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं की सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/उन्नयन/शैक्षिक क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के क्र0-3 में विभिन्न इन कार्यालयों पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रस्ताव रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा उक्त विचार-विमर्श का निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

"किसी क्षेत्र में स्थापित विभिन्न इन कार्यालयों पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीएलटीआईटी द्वारा पत्रों संस्थाएं अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीएलटीआईटी द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके साथ में सम्बद्ध प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं कार्यालयों से पीएलटीआईटी द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 की अद्यतन सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में लिए संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसकी अधिक प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्रम सं0	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीएलटीआईटी द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पीएलटीआईटी / परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	1030	श्री राम प्रशिक्षण शिक्षा कार्यालय, [illegible]	[illegible] इन कार्यालय	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था पीएलटीआईटी/पीएलटीआईटी द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद (संशोधन) 1982 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1983, संशोधन विनियमावली-2016 तथा अन्य विहित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क (बीच वर्षीय इकाई पाठ्यक्रमों हेतु रूपा 30,000.00/- प्रतिवर्ष, जो सामान्य पाठ्यक्रम हेतु रूपा 40,000.00/-प्रतिवर्ष एवं एक लाख से अधिक सम्बद्धता (2 वर्षीय पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रूपा 40,22,000 का प्रतिवर्ष शुल्क की धनराशि प्रार्थी/छात्र से प्राप्त किया जायेगा। अभ्यर्थियों से अतिरिक्त प्रार्थी/छात्रों से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, बीच में अनुमोदन समाप्ति किया